बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना-800015

स्पीड पोस्ट/ईमेल/विशेष दूत

दूरभाष सं0:- 0612-2217956
फैक्स:- 0612-2215611/2215978
ई-मेल:- ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक : बी01-3-63/2026- 3041 पटना, दिनांक 15 मई, 2026 ई०।

प्रेषक,

माधव कुमार सिंह, भा०प्र०से०,
अपर सचिव-सह-
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

सेवा में,

श्री राजेश कुमार सिंह,
अवर सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग,
नई दिल्ली।

विषय :- **बिहार राज्य की विधान परिषद् में भोजपुर-सह-बक्सर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप निर्वाचन, 2026- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 66 के उपबंध के अनुसरण में रिटर्निंग आफिसर के द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा विहित प्ररूप 23क & 23A एवं धारा 67 के उपबंध के निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम एव ंदल (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) के अधिसूचना का बिहार राजपत्र में प्रकाशित गजट की प्रति का प्रेषण।**

प्रसंग :- **आपका पत्रांक-100//LET/ECI//FUNC/BR-LC-LAC/04/BIEN/2025 दिनांक 09.04.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद् का उप निर्वाचन, 2026- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 66 के उपबंध के अनुसरण में रिटर्निंग आफिसर के द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा विहित प्ररूप 23क & 23A एवं धारा 67 के उपबंध के अनुसरण में निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम एव ंदल के अधिसूचना का प्रकाशन बिहार राजपत्र के दिनांक 15.05.2026 के असाधारण अंक में कर दिया गया है। राजपत्र की 02 (दो) प्रतियाँ (हिन्दी एवं अंग्रेजी) संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाये।

अनु० :- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन
15/5/2026
(माधव कुमार सिंह)
अपर सचिव-सह-
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

ज्ञापांक-बी01-3-63/2026- 3041 पटना, दिनांक- 15 मई, 2026 ई0।

प्रतिलिपि:- श्री सुमन कुमार दास, सचिव/श्री रोहित कुमार, अनुभाग पदाधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को राजपत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:- यथा उपर्युक्त।

15/5/2026
(माधव कुमार सिंह)
अपर सचिव-सह-
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

ज्ञापांक-बी01-3-63/2026- 3041 पटना, दिनांक- 15 मई, 2026 ई0।

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त पटना, प्रमंडल पटना/निर्वाची पदाधिकारी, भोजपुर-सह-बक्सर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र-सह-जिला पदाधिकारी, भोजपुर/जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:- यथा उपर्युक्त।

15/5/2026
(माधव कुमार सिंह)
अपर सचिव-सह-
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

ज्ञापांक–बी०1–3–63 / 2026– 3041 पटना, दिनांक– 15 मई, 2026 ई0।

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार विधान परिषद् को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:–यथा उपर्युक्त।

(माधव कुमार सिंह)
अपर सचिव–सह–
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

ज्ञापांक–बी०1–3–63 / 2026– 3041 पटना, दिनांक– 15 मई, 2026 ई0।

प्रतिलिपिः– माननीय राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव, बिहार / अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना / सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना / सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(माधव कुमार सिंह)
अपर सचिव–सह–
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

ज्ञापांक–बी०1–3–63 / 2026– 3041 पटना, दिनांक– 15 मई, 2026 ई0।

प्रतिलिपिः– विभागीय आई०टी०मैनेजर को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने के लिए सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(माधव कुमार सिंह)
अपर सचिव–सह–
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख 1948 (श0)

(सं0 पटना 501) पटना, शुक्रवार, 15 मई 2026

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

15 मई 2026

सं० बी०1–3–63/2026–28——लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा–67 के उपबंध के अनुसरण बिहार राज्य की विधान परिषद् में भोजपुर–सह–बक्सर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से आयोजित उप निर्वाचन, 2026 में बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित सदस्य की अधिसूचना, जिसमें निर्वाचित सदस्य के नाम संबद्ध दल के साथ, (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
माधव कुमार सिंह,
अपर सचिव–सह–अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

15 मई 2026

सं० बी०1–3–63 / 2026–27 यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा–151, धारा 30 और 56 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या–100 / बिहार–वि.प. / 04 / 2025–स्था.प्रा. दिनांक–16.04.2026 को जारी की गयी थी, के अनुसरण में बिहार राज्य की विधान परिषद् में भोजपुर–सह–बक्सर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री राधा चरण साह का स्थान, उनकी पदावधि, जो कि 07.04.2028 सहित उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व बिहार विधान सभा में उनके निर्वाचित होने के कारण 16.11.2025 से रिक्त होने के फलस्वरूप हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप निर्वाचन हो चुका है।

यतः निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधित रिटर्निंग आफिसर के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 66 के अधीन कर दी गई है।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा–67 के अनुसरण में बिहार राज्य की विधान परिषद् के लिए उन निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य के नाम संबंद्ध दल के साथ अधिसूचित किया जाता है:–

क्रमांक	स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल	पदावधि समाप्ति की तिथि
1	6–भोजपुर–सह–बक्सर	श्री सोनु कुमार राय	राष्ट्रीय जनता दल	07.04.2028

आदेश से और राज्यपाल के नाम से,
माधव कुमार सिंह,
अपर सचिव–सह–
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

Election Department

Notification

The 15th May 2026

No. : B-1-3-65/2026-27.—Whereas a bye-election has been held in pursuance of notification no-**100**/BR-LC/04/2025-LAC Dated-**16-04-2026** issued by Election Commission of India, New Delhi under section 151, section 30 and section 56 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) for the purpose of filling 01(One) seat vacant due to the seat of Shri. Radha Charan Sah in the Legislative Council of the State of Bihar, elected from Bhojpur-cum-Buxar Local Authorities' Constituency, has become vacant on 16th November, 2025 by the reason of his election to Bihar Legislative Assembly, before the expiration of his term of office which was up to and including 07.04.2028; and

Whereas the result of the bye-election has been declared by the Returning Officer concerned Under Section 66 of the the Representation Act, 1951 (43 of 1951),

Now, therefore, in pursuance of section 67 of the the Representation Act, 1951 (43 of 1951), the name of member, elected in respect for those Constituency for Legislative Council of State of Bihar alongwith party affiliations is hereby notified:-

Sl. No.	Name of Local Authorities' Constituency	Name of Elected Member	Party Affiliation	Expiration of his term of office up to and including
1	6-Bhojpur-cum-Buxar	Sri Sonu Kumar Rai	Rashtriya Janata Dal	**07.04.2028**

By order and in the name of Governor of Bihar,
Madhav kumar Singh,
Additional Secretary-cum-
Additional Chief Electoral officer, Bihar

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 501-571+50-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख 1948 (श0)

(सं0 पटना 500) पटना, शुक्रवार, 15 मई 2026

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

15 मई 2026

सं० बी०1–3–63 / 2026–26——लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा–67 के उपबंध के अनुसरण में बिहार राज्य की विधान परिषद् में भोजपुर–सह–बक्सर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से आयोजित उप निर्वाचन, 2026 के निर्वाचन के परिणाम की घोषणा से संबंधित प्ररूप 23क एवं 23A जिसमें बिहार विधान परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्य के नाम संबद्ध दल के सहित (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
माधव कुमार सिंह,
अपर सचिव–सह–अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 23क

[नियम 84 (1) (क) देखिए]

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा ।

06–भोजपुर–सह–बक्सर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से बिहार (राज्य) की विधान परिषद के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि–

श्री सोनु कुमार राय, पता– बिन्द टोली, आरा सदर, पोस्ट–आरा चौक, भोजपुर जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा खड़े किये गए हैं,

उस सदन में श्री राधाचरण साह, के पद त्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

(ह०)–अस्पष्ट,
निर्वाची पदाधिकारी,
06–भोजपुर–सह–बक्सर स्थानीय
प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र–सह–
जिला पदाधिकारी, भोजपुर।

स्थान : आरा,
तारीख : 14 मई, 2026

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 23A

[See rule 84(1)(a)]

(For use in Election to fill a casual Vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Council of Bihar from 06-Bhojpur-cum-Buxar Local Authorities' Constituency

In pursuance of the provisions contained in section-66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Clause (a) of sub rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Sri Sonu Kumar Rai, Bind Toli, Ara Sadar, PO - Ara Chowk, Bhojpur. Sponsored by Rashtriya Janata Dal has been duly elected to fill the vacancy caused in that house by the resignation of Sri Radhacharan sah..

Sd/-Illegible,
Returning Officer,
06- Bhojpur-cum-
Buxar Local Authorities' Constituency
-cum-District Magistrate, Bhojpur.

Place : Ara.
Date : 14th May, 2026

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 500-571+50-डी०टी०पी०।
Website: https://egazette.bihar.gov.in